

01/09/21

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित।  
मूल प्रकरण निर्णित हो चुका है, लिखना  
यह प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है।  
यह प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो व वाचिल पफ़्त हो।

अपर कलेक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

